न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 08/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हमीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम निम्बों का गांव, तह0 बालेसर (जोधपुर)		**राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बालेसर आदेश क्रमांक 1310 दिनांक 31.5.18

उपस्थिति –
1. श्री भरत बूब वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20 .05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.5.18 के द्वारा तहसीलदार के पत्र क्रमांक 694 दिनांक 31.5.18 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम निम्बा का गांव के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के खसरा नम्बर 73 की सह–खातेदारी भूमि में से 1.03 बीघा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 31.5.18 को प्रेषित किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 में उसी दिन बिना कोई जांच एवं अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई के बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार बालेसर द्वारा ना0क0सं0 954 दिनांक 30.6.18

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

स्वीकृत करते हुए जमाबंदी में भी अपीलांट की खातेदारी से खसरा नं0 73/1 अलग कर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी गई, जो गैर कानूनी है। इसके अलावा खसरा नं0 73 में से तहसीलदार बालेसर का प्रस्ताव 17 बिस्वा भूमि के लिए था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त खसरे की 1.03 बीघा भूमि रास्ते में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट के हद तक निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.8.16 की पालना में रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव को भिजवाया गया। प्रस्ताव के संलग्न मौका फर्द (मौका पर्चा) में खसरा नं0 73 की भूमि में कदीमी रास्ते के अधीन आने वाला रकबा 1.03 बीघा अंकित होने से अपीलाधीन आदेश विधिसम्मतः है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार बालेसर से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 को अपीलांट के ख0नं0 73 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 10 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर